

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 119] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 8, 1978/फाल्गुन 17, 1899

No. 119] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 8, 1978/PHALGUNA 17, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

विधि, स्थाय और कम्पनी कार्य संचालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च 1978

का० प्रा० 168(अ):--लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अनुसरण में, राष्ट्रपति, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट हर एक सम्पुत राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की यथास्थिति विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से या निर्वाचक-गण के सदस्यों से अपेक्षा करते हैं कि वे राज्य सभा के उन सदस्यों के स्थानों को भरने के लिये, जो अपनी पदावधि के अवसान के पश्चात् 2 अप्रैल, 1978, 9 अप्रैल, 1978 और 12 अप्रैल, 1978 को निवृत्त हो रहे हैं, उक्त अधिनियम के और तख्तीन बनाये गये नियमों और किये गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार उनसे सदस्य निर्वाचित करें जितने उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में हर एक ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट हैं:--

सारणी

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या
(1)	(2)
1. आन्ध्र प्रदेश	6
2. आसाम	3
3. बिहार	7
4. गुजरात	4
5. हरियाणा	2
6. हिमाचल प्रदेश	1
7. कर्नाटक	4
8. मध्य प्रदेश	5
9. महाराष्ट्र	7
10. मणिपुर	1
11. मेघालय	1
12. उड़ीसा	4
13. पंजाब	2
14. राजस्थान	3
15. तमिलनाडु	6
16. उत्तर प्रदेश	11
17. पश्चिम बंगाल	5
18. दिल्ली	1

[सं० एफ० 13(1)/78-विधायी-II]

के० के० सुन्दरम्, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 1978

S.O. 168(E).—In pursuance of section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) the President is pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly, or as the case may be, the members of the electoral college, of each State or the Union Territory concerned, specified in column 1 of the Table below, to elect, in accordance with the provisions of the said Act and the rules and

orders made thereunder, the number of members specified against each such State or Union territory in column 2 of the said table, for filling the seats of the members of the Council of States retiring on the 2nd April, 1978, 9th April, 1978 and 12th April, 1978 on the expiration of their term of office :—

TABLE

Name of State/ Union territory	Number of members to be elected
1	2
1. Andhra Pradesh	6
2. Assam	3
3. Bihar	7
4. Gujarat	4
5. Haryana	2
6. Himachal Pradesh	1
7. Karnataka	4
8. Madhya Pradesh	5
9. Maharashtra	7
10. Manipur	1
11. Meghalaya	1
12. Orissa	4
13. Punjab	2
14. Rajasthan	3
15. Tamil Nadu	6
16. Uttar Pradesh	11
17. West Bengal	5
18. Delhi	1

[No. F. 13(1)/78-Leg. II]

K. K. SUNDARAM, Secy.

